प्रेस नोट

दिनांक 15.10.2026

जनपदीय पुलिस व सर्विलांस टीम द्वारा 251 खोये मोबाइल अनुमानित कीमत करीब ₹ 55,22,000 (पचपन लाख बाइस हजार रुपये) को बरामद कर पुलिस अधीक्षक गोण्डा ने मोबाइल स्वामियों को किये सुपुर्द-

जनपद गोण्डा में 17 थानों की पुलिस एवं सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम द्वारा आमजन के खोये हुए मोबाइल फोनों की प्रभावी बरामदगी करते हुए शारदीय नवरात्रि के अवसर पर नागरिकों को एक बड़ी सौगात दी गई। जनपदीय पुलिस एवं सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम द्वारा सीईआईआर पोर्टल पर 01/07/2026 से 13/10/2026 तक दर्ज 603 मोबाइल में से कुल 251 खोये हुए मोबाइल फोन अनुमानित कीमत करीब रु0 55,22,000 /- (पचपन लाख बाइस हजार रुपए) को बरामद कर मोबाइल स्वामियों को सुपुर्द किये गये हैं। शेष मोबाइलों की बरामदगी हेतु जनपदीय टीमें कार्यरत हैं।

कार्यवाही-

जनपद में खोये हुए मोबाइल फोनों की बरामदगी हेतु सर्विलांस टीम एवं समस्त थाना प्रभारी/थानाध्यक्षों के नेतृत्व में टीमों का गठन कर अभियान चलाते हुये जनपदीय सर्विलांस टीम द्वारा सभी थानों से समन्वय स्थापित कर भारत सरकार द्वारा संचालित सीईआईआर (CEIR) पोर्टल पर खोये मोबाइल फोनों की दर्ज शिकायत की प्रतिदिन मॉनीटरिंग की गई। इस क्रम में जनपदीय पुलिस टीमों द्वारा विभिन्न कम्पनियों जिनमें एप्पल, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, टेक्नो, रेडमी, वन प्लस आदि कंपनियों के थाना को0 नगर 55, थाना को0 देहात 03, खरगूपुर 10, इटियाथोक 13, धानेपुर 10, नवाबगंज 10, वजीरगंज 10 , तरबगंज 10,

उमरीबेगमगंज 07, कर्नलगंज 21, कटराबाजार 06, कौड़िया 06, परसपुर 06, मनकापुर 05, छपिया 04, खोड़ारे 16, मोतीगंज 06 व नोडल टीम द्वारा 53 इस प्रकार कुल 251 मोबाइल फोन सफलतापूर्वक बरामद किये गये, जिन्हें आज दिनांक 15.10.2026 को उनके वास्तविक मोबाइल धारकों को सुपुर्द किया गया। अपने खोये हुए मोबाइल फोन पुनः प्राप्त कर मोबाइल धारकों द्वारा पुलिस का आभार व्यक्त किया गया।

जनहित में अपील-

इस अवसर पर आमजन से अपील की गई है कि वे अपने मोबाइल फोन में 'संचार साथी' एप को प्ले-स्टोर से डाउनलोड कर लें, जिससे भविष्य में मोबाइल खो जाने की स्थिति में पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आवश्यक सूचनाएं प्राप्त होती रहें। मोबाइल खोने की स्थिति में मोबाइल की बिल/आईएमईआई, आधार कार्ड एवं पहचान पत्र के साथ अपने स्थानीय थाने पर उपस्थित होकर सीईआईआर पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं। मोबाइल मिलने की स्थिति में पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त होती रहेगी। जनपदीय मुख्यालय एवं थानों द्वारा आगे भी इसी प्रकार मोबाइल वितरण कार्यक्रम आयोजित किये जाते रहेंगे।

बरामदकर्ता टीम-

01. निरीक्षक आशुतोष सिंह प्रभारी स्वाट, उ0नि0 मनीष कुमार प्रभारी सर्विलांस मय टीम जनपद गोण्डा।

02. हे0कां0 हृदय नारायण दीक्षित, हे0कां0 रवि यादव, हे0कां0 अमित पाठक, हे0कां0 रणधीर सिंह, कां0 अमितेश सिंह , अंशुमान पाण्डेय सर्विलांस सेल एवं समस्त स्वाट टीम गोण्डा।

03.कां0 पंकज कुमार, कां0 अभय प्रताप सिंह , कां0 मनीष कुशवाहा, कां0 अनमोल कुमार , कां0 कृष्णा कुमार , कां0 मो0 अर्शिल, कां0 नारायण सिंह , क0आ0 अनुज यादव, क0आ0 कृष्णा, क0आ0 बब्लू कुमार, क0आ0 अभिमन्यु, कां0 चन्द्र

प्रकाश, कां0 रोहित , कां0 राघव शर्मा, क0ऑ0 देवेन्द्र , कां0 अमित वर्मा, कां0 हरिश्चन्द्र तिवारी , कां0 इन्द्रजीत, म0आ0 मीनाक्षी समस्त थानों पर सीईआईआर पोर्टल पर नियुक्त टीम ।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक- 15.10.2026

थाना छपिया पुलिस द्वारा कूटरचित दस्तावेज व प्रतिरूपण के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

घटना का संक्षिप्त विवरण—

वादी बाबूराम पुत्र झिन्कू निवासी ग्राम चुवाड़, थाना छपिया, जनपद गोण्डा द्वारा थाना छपिया पर तहरीर दी गई कि अभियुक्त संजय उर्फ मुकेश पुत्र स्व0 महेश प्रसाद निवासी ग्राम चटकनवा, थाना खोड़ारे, जनपद गोण्डा द्वारा भूमि संबंधी विवाद में राजस्व न्यायालय को गुमराह करने के उद्देश्य से कूटरचित दस्तावेज तैयार किए गए। आरोप है कि संबंधित महिला की मृत्यु दिनांक 25.03.2024 को हो जाने के बावजूद अभियुक्त द्वारा किसी अन्य महिला को मृतका के स्थान पर प्रस्तुत कर दिनांक 09.07.2025 को फर्जी इकबाल दावा/स्वीकारोक्ति पत्र दाखिल कराया गया तथा कूटरचित दस्तावेजों एवं प्रतिरूपण के आधार पर दिनांक 25.08.2025 को नामान्तरण (दाखिल-खारिज) आदेश प्राप्त किया गया। प्रकरण में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना छपिया पर सुसंगत धारो मे अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही—

आज दिनांक 15.10.2026 को थाना छपिया पुलिस द्वारा क्षेत्र में भ्रमण के दौरान मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्त संजय उर्फ मुकेश को माड़ा चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना छपिया पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

1. **संजय उर्फ मुकेश पुत्र स्व0 महेश प्रसाद**, निवासी ग्राम चटकनवा, थाना खोड़ारे, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01- मु0अ0सं0 277/2026, धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस, थाना छपिया, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार करने वाली टीम—

1. उ0नि0 शैलेन्द्र राय
2. आ0 पियूष प्रभाकर

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 15.10.2026

मिशन शक्ति अभियान-6.0 के तहत छात्राओं को कैरियर **गाइडेंस**, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना एवं साइबर सुरक्षा के प्रति किया गया जागरूक-

आज दिनांक **15.10.2026** को **मिशन शक्ति अभियान-6.0** के तहत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी गोण्डा **श्री अजीत कुमार रजक** के नेतृत्व में **एससीपीएम कॉलेज, गोण्डा** में छात्राओं के साथ कैरियर गाइडेंस एवं साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए उपलब्ध शैक्षिक एवं प्रतियोगी परीक्षा संबंधी अवसरों की जानकारी प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें साइबर अपराधों के प्रति जागरूक एवं सतर्क करना रहा। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को **मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना** के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। उन्हें बताया गया कि योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु निःशुल्क मार्गदर्शन एवं कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। छात्राओं को **संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC), अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एवं अन्य भर्ती बोर्डों की प्रतियोगी परीक्षाओं, JEE Main, NEET, NDA, CDS, बैंकिंग, SSC, B.Ed., TET** सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए उपलब्ध मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही पात्रता, पंजीकरण प्रक्रिया, पाठ्यक्रम, परीक्षा की तैयारी की रणनीति तथा विभिन्न शैक्षिक एवं कैरियर अवसरों के बारे में विस्तार से बताया गया। छात्राओं को अपने लक्ष्य निर्धारित कर नियमित अध्ययन, समय प्रबंधन, अनुशासन

एवं उचित मार्गदर्शन के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए प्रेरित किया गया। विशेष रूप से छात्राओं को उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाकर शिक्षा एवं रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ने तथा आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इसी क्रम में **साइबर सुरक्षा के संबंध में वृहद जागरूकता कार्यशाला** आयोजित करते हुए छात्राओं को वर्तमान समय में बढ़ रहे साइबर अपराधों एवं उनसे बचाव के उपायों के संबंध में जानकारी दी गई। **साइबर सेल से हरिओम टण्डन** द्वारा छात्राओं को साइबर फ्रॉड के विभिन्न तरीकों, फर्जी लिंक, फर्जी वेबसाइट, सोशल मीडिया फ्रॉड, फर्जी कस्टमर केयर, OTP/UPI फ्रॉड, फिशिंग, सोशल मीडिया अकाउंट हैकिंग, ऑनलाइन ठगी तथा साइबर अपराधियों द्वारा अपनाए जाने वाले अन्य तरीकों के संबंध में जागरूक किया गया। छात्राओं को बताया गया कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें तथा किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ **OTP, PIN, CVV, पासवर्ड अथवा बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी** साझा न करें। सोशल मीडिया पर प्राप्त संदिग्ध लिंक एवं संदेशों से सावधान रहने तथा किसी भी प्रकार की साइबर ठगी होने पर तत्काल **साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1930** पर शिकायत दर्ज कराने एवं संबंधित थाना/साइबर सेल को सूचना देने के लिए जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान **WCSO प्रभारी उ0नि0 प्रतिभा सिंह** द्वारा मिशन शक्ति अभियान के उद्देश्यों एवं महिलाओं तथा बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन के लिए संचालित विभिन्न हेल्पलाइन एवं सहायता सेवाओं के संबंध में जानकारी दी गई। छात्राओं को किसी भी प्रकार की समस्या अथवा उत्पीड़न की स्थिति में बिना संकोच पुलिस की सहायता लेने के लिए प्रेरित किया गया। इसके अतिरिक्त **थाना कोतवाली नगर की मिशन शक्ति/एण्टी रोमियो टीम** द्वारा छात्राओं को महिला एवं बालिका सुरक्षा से संबंधित विभिन्न उपायों, सार्वजनिक स्थानों पर बरती जाने वाली सावधानियों तथा पुलिस द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा हेतु किए जा रहे प्रयासों के बारे में

जानकारी प्रदान की गई। छात्राओं को **महिला हेल्पलाइन 1090, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, आपातकालीन सेवा 112 तथा साइबर हेल्पलाइन 1930** सहित महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नम्बरों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के माध्यम से छात्राओं को शिक्षा, कैरियर निर्माण, महिला सशक्तिकरण एवं साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हुए उन्हें सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाने तथा अपने आसपास की अन्य महिलाओं एवं बालिकाओं को भी साइबर अपराधों से बचाव के लिए जागरूक करने हेतु प्रेरित किया गया।

इस अवसर पर WCSO प्रभारी उ0नि0 प्रतिभा सिंह, साइबर सेल से हरिओम टण्डन तथा थाना कोतवाली नगर की मिशन शक्ति/एण्टी रोमियो टीम सहित कॉलेज की शिक्षिकाएं एवं छात्राएं उपस्थित रहीं।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 15.10.2026

साइबर जागरूकता माह के अंतर्गत गोण्डा पुलिस द्वारा मोबाइल एप्लीकेशन के सुरक्षित उपयोग के प्रति आमजन को किया गया जागरूक-

गोण्डा। साइबर अपराधों की रोकथाम एवं आमजन को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से साइबर जागरूकता माह के अंतर्गत आज दिनांक 15.10.2026 को गोण्डा पुलिस द्वारा जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में **"एप्लीकेशन सेफ्टी (Application Safety)"** विषय पर साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर आमजन, छात्र-छात्राओं, महिलाओं एवं युवाओं को मोबाइल एप्लीकेशन के सुरक्षित उपयोग के संबंध में जागरूक किया गया। कार्यक्रमों के दौरान लोगों को बताया गया कि वर्तमान समय में मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से बैंकिंग, ऑनलाइन भुगतान, खरीदारी एवं विभिन्न दैनिक कार्य आसानी से किए जा रहे हैं, लेकिन साइबर अपराधी फर्जी मोबाइल एप्लीकेशन, संदिग्ध लिंक, APK फाइल तथा अनावश्यक परमिशन के माध्यम से लोगों की व्यक्तिगत एवं वित्तीय जानकारी चुराकर साइबर धोखाधड़ी कर सकते हैं। इस प्रकार के अपराधों से बचने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन का सावधानीपूर्वक उपयोग करना अत्यंत आवश्यक है। जागरूकता कार्यक्रमों के दौरान बताया गया कि मोबाइल एप्लीकेशन हमेशा **Google Play Store एवं Apple App Store जैसे विश्वसनीय आधिकारिक प्लेटफॉर्म** से ही डाउनलोड करें तथा किसी अनजान व्यक्ति द्वारा WhatsApp, SMS या सोशल मीडिया के माध्यम से भेजे गए लिंक से APK फाइल डाउनलोड कर इंस्टॉल न करें। किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते समय उसकी

विश्वसनीयता, रेटिंग, डेवलपर की जानकारी एवं आवश्यक अनुमतियों की जांच अवश्य करें। एप्लीकेशन को कैमरा, माइक्रोफोन, कॉन्टैक्ट, लोकेशन, SMS एवं अन्य सुविधाओं की अनुमति केवल आवश्यकता के अनुसार ही दें तथा अनावश्यक परमिशन को बंद रखें। लोगों को यह भी समझाया गया कि किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर मोबाइल में स्क्रीन शेयरिंग, रिमोट एक्सेस या अन्य संदिग्ध एप्लीकेशन इंस्टॉल न करें, क्योंकि इनके माध्यम से साइबर अपराधी मोबाइल की गतिविधियों पर नजर रखकर गोपनीय जानकारी एवं बैंकिंग विवरण का दुरुपयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बैंकिंग एवं UPI एप्लीकेशन का उपयोग करते समय विशेष सतर्कता बरतने, अपना OTP, UPI PIN, पासवर्ड एवं बैंक खाते से संबंधित गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा न करने तथा किसी भी अनजान व्यक्ति के कहने पर भुगतान संबंधी अनुरोध स्वीकार न करने के संबंध में जानकारी दी गई। लोगों को मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम एवं एप्लीकेशन को नियमित रूप से अपडेट रखने, अनावश्यक तथा संदिग्ध एप्लीकेशन हटाने और समय-समय पर एप्लीकेशन की अनुमतियों की समीक्षा करने के लिए भी प्रेरित किया गया। गोण्डा पुलिस द्वारा साइबर जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को बताया गया कि साइबर धोखाधड़ी का शिकार होने पर बिना देर किए तत्काल **साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930** पर कॉल करें अथवा भारत सरकार के आधिकारिक साइबर अपराध पोर्टल **https://www.cybercrime.gov.in** पर शिकायत दर्ज कराएं। समय से शिकायत करने पर धोखाधड़ी की धनराशि को रोकने की संभावना बढ़ सकती है। साथ ही लोगों से अपील की गई कि वे स्वयं साइबर सुरक्षा के नियमों का पालन करें तथा अपने परिवार, मित्रों एवं आसपास के लोगों को भी मोबाइल एप्लीकेशन के सुरक्षित उपयोग के प्रति जागरूक करें।

गोण्डा पुलिस की अपील: किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें, संदिग्ध एप्लीकेशन डाउनलोड न करें तथा अपनी व्यक्तिगत एवं वित्तीय जानकारी सुरक्षित रखें। साइबर अपराध से बचाव के लिए सतर्कता ही सबसे प्रभावी उपाय है।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक: 15.10.2026

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा नाजायज स्मैक के साथ 02 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-जनपद गोण्डा में मादक पदार्थों की बिक्री एवं तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 15.10.2026 को थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 135 पुड़िया स्मैक, जिसका कुल वजन 7.83 ग्राम है, बरामद किया गया।

घटना एवं कार्यवाही के विवरण

आज दिनांक 15-10-2026 को उपनिरीक्षक उपनिरीक्षक दुर्गविजय सिंह व उ0नि0 आनन्द कुमार उपाध्याय मय पुलिस टीम क्षेत्र में भ्रमण एवं अपराध/अपराधियों की रोकथाम हेतु दुल्लापुर मिश्ररनपुर तिराहे पर मौजूद थे। इसी दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गई कि कचनापुर गाव मे नहर के पास दो व्यक्तियो द्वारा संदिग्ध मादक पदार्थ की बिक्री की जा रही है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई। पुलिस टीम को देखकर भागने का प्रयास कर रहे एक व्यक्ति को मौके पर पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम विजय कुमार पाण्डेय पुत्र पवन कुमार पाण्डेय उम्र करीब 40 वर्ष निवासी धनईपट्टी थाना को देहात जनपद गोण्डा बताया तथा दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम गंगा सागर उर्फ बब्लू दूबे पुत्र स्व0 पवन कुमार दूबे उम्र करीब 32 वर्ष निवासी विरसिंहपुर माधवपुर थाना को0

देहात गोण्डा बताया। अभियुक्त विजय कुमार पाण्डेय उपरोक्त के पास से कुल 55 पुडिया स्मैक वजन करीब 3.03 ग्राम व गंगा सागर उर्फ बब्लू दूबे उपरोक्त के पास से 80 पुडिया स्मैक का वजन करीब 4.80 ग्राम पाया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. विजय कुमार पाण्डेय पुत्र पवन कुमार पाण्डेय, उम्र करीब 40 वर्ष, निवासी धनईपट्टी, थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा।
2. गंगा सागर उर्फ बब्लू दूबे पुत्र स्वर्गीय पवन कुमार दूबे, उम्र करीब 32 वर्ष, निवासी विरसिंहपुर माधवपुर, थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग:

01- मु0अ0सं0-988/2026, धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट, थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा।

बरामदगी:

01- कुल 135 पुड़िया स्मैक, वजन करीब 7.83 ग्राम।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

1. उ0नि0 दुर्गविजय सिंह
2. उ0नि0 आनन्द कुमार उपाध्याय
3. का0 जागेश्वर गौड़
4. का0 पंकज
5. का0 मयंक
6. म0आ0 रक्षा वर्मा
7. का0 मो0 इसलाम
8. का0 बृजेश गौड़

प्रेस नोट

दिनांक: 15.10.2026

मिशन शक्ति अभियान के तहत कस्तूरबा गांधी विद्यालय, तरबगंज की छात्रा बनीं एक दिन की थाना प्रभारी, जनशिकायतों की सुनवाई में किया प्रतिभाग-

गोण्डा। आज दिनांक 15.10.2026 को थाना तरबगंज पुलिस द्वारा मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिला एवं बालिका सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण तथा साइबर अपराधों से बचाव के प्रति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान कस्तूरबा गांधी विद्यालय, तरबगंज की छात्राओं को महिला सुरक्षा, बालिका संरक्षण, सार्वजनिक स्थानों पर बरती जाने वाली सावधानियों तथा किसी भी आपात स्थिति में पुलिस से सहायता प्राप्त करने के तरीकों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। छात्राओं को महिला हेल्पलाइन 1090, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, आपातकालीन पुलिस सेवा 112 तथा साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 सहित विभिन्न महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों के बारे में बताया गया। साथ ही उन्हें साइबर अपराधों, ऑनलाइन धोखाधड़ी, सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग तथा अपनी व्यक्तिगत जानकारी एवं डिजिटल खातों की सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से छात्राओं को शिक्षा, कैरियर निर्माण एवं आत्मनिर्भरता के लिए प्रेरित करते हुए अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने तथा किसी भी प्रकार की समस्या या उत्पीड़न की स्थिति में बिना किसी भय के पुलिस से संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इसी क्रम में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत कस्तूरबा गांधी विद्यालय, तरबगंज की छात्रा **पिंकी कुमारी को एक दिन का थाना प्रभारी बनाया गया।** इस दौरान छात्रा ने थाना प्रभारी के दायित्वों एवं

पुलिस की कार्यप्रणाली को समझा तथा थाने पर आने वाले फरियादियों की जनशिकायतों की सुनवाई की प्रक्रिया में प्रतिभाग किया। इस पहल का उद्देश्य बालिकाओं में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता एवं निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना तथा उन्हें पुलिस की कार्यप्रणाली से परिचित कराना है, जिससे वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर समाज में महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण की दिशा में सक्रिय भूमिका निभा सकें।

कार्यक्रम के दौरान विद्यालय की वार्डन श्रीमती आशा पाण्डेय एवं अध्यापिकाएं उपस्थित रहीं। थाना तरबगंज पुलिस की मिशन शक्ति एवं एंटी रोमियो टीम द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उपनिरीक्षक श्री सुनील कुमार सिंह (नोडल अधिकारी साइबर हेल्पडेस्क), महिला उपनिरीक्षक सुश्री कल्पना श्रीवास्तव (नोडल अधिकारी मिशन शक्ति), महिला कांस्टेबल आकांक्षा दीक्षित, कांस्टेबल रोमिल अवस्थी, कांस्टेबल जयदीप यादव (साइबर हेल्पडेस्क) एवं कांस्टेबल दिवाकर मिश्रा (साइबर हेल्पडेस्क) ने प्रतिभाग किया।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक: 15.10.2026

थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा चोरी से पीपल का पेड़ काटकर ले जाने के मामले में 02 अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार, मौके से काटे गए पेड़ के 11 बोटे बरामद-

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 14.10.2026 को वादी अविनाश श्रीवास्तव पुत्र विश्वदेव श्रीवास्तव निवासी ग्राम पिपरा अदई, थाना खोड़ारे, जनपद गोण्डा द्वारा थाना खोड़ारे पर लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी निजी भूमि पर लगा लगभग 100 वर्ष पुराना पीपल का पेड़ कुछ व्यक्तियों द्वारा चोरी से काट लिया गया है। प्रकरण में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खोड़ारे पर सुसंगत धाराओ मे अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही:-

आज दिनांक 15.10.2026 को उपनिरीक्षक प्रवीण सिंह मय पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर खास की सूचना पर घटनास्थल की ओर जाने वाले मार्ग के तिराहे से मुकदमे से संबंधित 02 अभियुक्तों मो0 जावेद एवं जफरुद्दीन को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों की निशानदेही पर घटनास्थल से काटे गए

पीपल के पेड़ के कुल 11 बोटे बरामद किए गए। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना खोडारे पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियक्तगण-

1. मो0 जावेद पुत्र अब्दुल खालिद निवासी ग्राम पिपरा अदई, थाना खोड़ारे, जनपद गोण्डा।
2. जफरुद्दीन पुत्र जलालुद्दीन निवासी ग्राम गाजीपुर, थाना खोड़ारे, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोगः-

01- मु0अ0सं0 274/2026 धारा 303(2), 298, 317(2) बीएनएस एवं धारा 4/10 वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976, थाना खोड़ारे, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 प्रवीण सिंह, थाना खोड़ारे, जनपद गोण्डा।
2. हे0का0 राधेश्याम यादव।
3. का0 आशीष कुमार।
4. का0 रमन वर्मा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक: 15.10.2026

थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा सर्राफा की दुकान में चोरी करने वाले 02 अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 05 जोड़ी पायल व ₹3,270/- नगद बरामद-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 01/02 अक्टूबर 2026 की रात्रि में थाना मोतीगंज क्षेत्रान्तर्गत कहोबा-दर्जीकुआँ मुख्य मार्ग पर स्थित सुनील मिश्र के भवन में किराये पर संचालित श्रीपाल सोनी पुत्र राधेश्याम सोनी निवासी ग्राम विद्यानगर, थाना मोतीगंज, जनपद गोण्डा की सर्राफा दुकान का शटर तोड़कर अज्ञात चोरों द्वारा चांदी की लगभग 10-12 जोड़ी पतली पायल एवं कुछ पुरानी कील चोरी कर ली गई थी। उक्त घटना के संबंध में थाना मोतीगंज पर सुसंगत धाराओ मे अभियोग पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही-

आज दिनांक 15.10.2026 को उपनिरीक्षक सुधीर यादव पुलिस टीम के साथ चोरी गए माल एवं अभियुक्तों की तलाश में क्षेत्र में भ्रमणशील थे। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि उक्त चोरी की घटना में शामिल दो व्यक्ति बघेलवा चौराहे से कस्तुआ गांव की ओर जा रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए बताए गए स्थान के पास घेराबंदी कर दोनों व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। पूछताछ एवं तलाशी के दौरान उनकी पहचान बृजेश सिंह उर्फ राम छविले तथा महेश सोनकर उर्फ रहेश के रूप में हुई। तलाशी में अभियुक्त बृजेश सिंह के कब्जे से सफेद धातु की 05 जोड़ी पायल तथा अभियुक्त महेश सोनकर के कब्जे से ₹3,270/- नगद बरामद हुए। पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने उक्त सर्राफा दुकान से चोरी करना

स्वीकार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. **बृजेश सिंह उर्फ राम छविले** पुत्र विजय कुमार सिंह उर्फ पप्पू सिंह निवासी ग्राम तुलसीपुर नौबरा, थाना मोतीगंज, जनपद गोण्डा।
2. **महेश सोनकर उर्फ रहेश** पुत्र विश्राम निवासी ग्राम पिपरा सूर्यमन, थाना मोतीगंज, जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

- चोरी की सफेद धातु की 05 जोड़ी पायल।
- ₹3,270/- नगद।

पंजीकृत अभियोग-

01- मु0अ0सं0 214/2026 धारा 305/331(4)/317(2) बीएनएस, थाना मोतीगंज, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 सुधीर यादव, थाना मोतीगंज।
2. मु0आ0 रूपेश कुमार सिंह।
3. मु0आ0 मनीराम निषाद।

4. का0 आदित्य यादव।
5. का0 विजेंद्र प्रताप।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांकः 15.10.2026

मिशन शक्ति अभियान 6.0 एवं साइबर जागरूकता अभियान के तहत गोण्डा पुलिस द्वारा जनपद के 18 थानों के अंतर्गत विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में चलाया गया जागरूकता कार्यक्रम-

गोण्डा। महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करने तथा साइबर अपराधों के प्रति आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से आज दिनांक 15.10.2026 को गोण्डा पुलिस द्वारा मिशन शक्ति अभियान 6.0 एवं साइबर जागरूकता अभियान के अंतर्गत जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस टीमों द्वारा विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान छात्र-छात्राओं एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा, उनके अधिकारों, आत्मसम्मान, साइबर अपराधों से बचाव तथा डिजिटल माध्यमों का सुरक्षित उपयोग करने के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान बालिकाओं को किसी भी प्रकार की हिंसा, उत्पीड़न, छेड़छाड़ अथवा अन्य असुरक्षित स्थिति का सामना करने पर बिना किसी भय या संकोच के पुलिस की सहायता लेने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही महिला सुरक्षा से संबंधित हेल्पलाइन नंबरों, मिशन शक्ति के उद्देश्यों तथा महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए संचालित सहायता सेवाओं की जानकारी दी गई। साइबर जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत ऑनलाइन धोखाधड़ी, फर्जी कॉल, एसएमएस एवं लिंक के माध्यम से होने वाले फ्रॉड, ओटीपी एवं बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी साझा करने से होने वाले नुकसान, सोशल मीडिया पर अनजान व्यक्तियों से सतर्क रहने,

फर्जी प्रोफाइल, डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी तथा ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से बचाव के उपाय बताए गए। छात्र-छात्राओं को बताया गया कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें, अपना ओटीपी, पासवर्ड, बैंकिंग विवरण एवं अन्य गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा न करें तथा साइबर अपराध का शिकार होने पर तत्काल हेल्पलाइन नंबर 1930 अथवा आधिकारिक वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं।

थानावार आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों का विवरण निम्नवत है—

1. थाना कोतवाली नगर— एससीपीएम कॉलेज।
2. थाना कोतवाली देहात— स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज।
3. थाना इटियाथोक — कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय पाठशाला।
4. थाना खरगूपुर — सत्य साईं इंटर कॉलेज, पटखौली।
5. थाना धानेपुर — चंद्रशेखर बालिका इंटर कॉलेज, माधवगंज।
6. थाना मनकापुर — राजकीय विद्यालय।
7. थाना मोतीगंज — एसजी इंटर कॉलेज, पांडे बाजार।
8. थाना छपिया — आचार्य नरेंद्र देव महाविद्यालय, बभनान।
9. थाना खोड़ारे — कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, गिनी नंदिनी।
10. थाना तरबगंज — कस्तूरबा गांधी विद्यालय, तरबगंज।

11. थाना नवाबगंज — निर्मला इंटर कॉलेज, नवाबगंज।
12. थाना वजीरगंज — ग्रीनवुड पब्लिक स्कूल, बढ़ावा।
13. थाना उमरीबेगमगंज— मां बाराही हाई स्कूल इंटर कॉलेज, उमरी।
14. थाना कर्नलगंज — कस्तूरबा गांधी विद्यालय, कर्नलगंज।
15. थाना परसपुर — कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय।
16. थाना कटरा बाजार — बीटीएस एकेडमी इंटर कॉलेज।
17. थाना कौड़िया — गंगा प्रसाद मिश्रीलाल इंटर कॉलेज, कौड़िया बाजार।
18. महिला थाना — शशि शिक्षा निकेतन।

गोण्डा पुलिस द्वारा मिशन शक्ति अभियान 6.0 एवं साइबर जागरूकता अभियान के माध्यम से महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने, उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने तथा साइबर अपराधों से बचाव के प्रति सजग करने के लिए निरंतर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गोण्डा पुलिस आमजन से अपील करती है कि वे महिला सुरक्षा, साइबर सुरक्षा एवं डिजिटल सतर्कता से संबंधित जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं तथा किसी भी आपात स्थिति या साइबर अपराध की जानकारी होने पर तत्काल पुलिस की सहायता प्राप्त करें।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक: 15.10.2026

थाना कटरा बाजार पुलिस द्वारा दुकान में घुसकर चोरी करने वाले 02 अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार, चोरी का सामान व नकदी बरामद-

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 12.10.2026 को थाना कटरा बाजार क्षेत्र के कस्बा कटरा बाजार स्थित वादी मो0 अख्तर पुत्र सिद्दीक निवासी वार्ड संख्या-011, मोहल्ला दलाल टोला, नगर पंचायत कटरा, थाना कटरा बाजार, जनपद गोण्डा की दुकान में घुसकर चोरी की घटना कारित की गई थी। उक्त प्रकरण में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कटरा बाजार पर मु0अ0सं0 251/2026, धारा 305(ए), 331(4) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस की कार्यवाही—

आज दिनांक 15.10.2026 को थाना कटरा बाजार पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्तगण 1. बब्लू पुत्र इब्राहिम निवासी पठानटोला, थाना कटरा बाजार, जनपद गोण्डा तथा 2. वीरू सिंह पुत्र शिवमूरत सिंह निवासी ग्राम रामापुर, थाना कौड़िया, जनपद गोण्डा को बनगांव स्थित टेढ़ी नदी पुल से गिरफ्तार किया

गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के कपड़े एवं नकदी बरामद की गई। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण—

1. बब्लू पुत्र इब्राहिम निवासी पठानटोला, थाना कटरा बाजार, जनपद गोण्डा
2. वीरू सिंह पुत्र शिवमूरत सिंह निवासी ग्राम रामापुर, थाना कौड़िया, जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग—

01- मु0अ0सं0 251/2026, धारा 305(ए), 331(4) बीएनएस, थाना कटरा बाजार, जनपद गोण्डा।

बरामदगी का विवरण—

06 अदद जींस पैंट, विभिन्न कंपनियों के 05 अदद शर्ट, 03 अदद बच्चियों के टॉप एवं जींस तथा कुल ₹3,400/- नकद बरामद किए गए।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

1. उ0नि0 श्री राजेन्द्र कनौजिया।
2. का0 सुनील कुमार साहू।

3. का0 पंकज यादव।

4. का0 नागेन्द्र कुमार।

मीडिया सेल, गोण्डा।